an>

Title: Need to sanction unreserved forest land in single phase and set up a regional office of Ministry of Environment, Forests and Climate Change in Jaipur, Rajasthan.

श्री चाँद नाथ (अलवर): वन भूमि अनारक्षण के प्रस्तावों पर भारत सरकार द्वारा दो चरणों में स्वीकृति जारी की जाती है। भारत सरकार समस्त परियोजनाओं के अनारक्षण प्रस्तावों की स्वीकृति एकल चरण में जारी करें एवं स्वीकृति में लगाई गई शर्तों की पालना राज्य सरकार के स्तर पर की जावे।

कतिपय राजकीय परियाजनाओं में मुख्यतः आधारभूत संरचनाएं जैसे स्कूल, चिकित्सालय, विद्युत एवं संचार लाइनें, पेयजल योजनाएं, विद्युत सब स्टेशन, संचार पोस्ट, सड़क निर्माण एवं सुधार आदि सम्मिलित हैं। इसलिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को सामान्य स्वीकृति के अंतर्गत एक हेक्टेयर से बढ़ाकर दस हेक्टेयर कर दिया जाए। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में खोला जाना प्रस्तावित है जोकि लखनऊ में है ताकि राजस्थान राज्य से संबंधित ऐसे प्रस्ताव जिनमें 40 हेक्टेयर तक अनारक्षण हेतु प्रस्ताव त्वरित गति से निस्तारण हो सके। भारत सरकार को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं नगरपालिका अपशिष्ट जल के उपचार एवं निस्तारण के लिए स्थानीय स्वायतशासी संस्थाओं को पर्याप्त व्यवस्थाएं स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध है क्योंकि राजस्थान सरकार अकेले इस राशि को वहन नहीं कर सकती।